पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

**प्रकरण सं0 : 58/2020**

1. सुलतानसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:– वादी

**ब ना म**

1. आदराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
2. रमेशकुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
3. मायादेवी पुत्री आदराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री ताराचंद मोठसरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री दलीप सहु की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेउ वर्तमान खाता स0 271/262 के खसरा स0 557 की 2.6810है0 खसरा स0 559/1 की 0.3160है0 खसरा स0 741 की 0.8760है0 कुल 3.8700है0 में प्रतिवादी स0 1 आदराम के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा घेउ के ही खाता स0 272/261 के खसरा स0 744 की 8.2960है में प्रतिवादी सं 1 आदराम के नाम 274 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 आदराम की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 03 मायादेवी ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 व 02 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 सुलतानसिंह व प्रतिवादी सं0 01 आदराम व प्रतिवादी सं0 02 रमेशकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09-03-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:20 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण) आरएएस
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 58/2020

1. सुलतानसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. आदराम पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
2. रमेशकुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।
3. मायादेवी पुत्री आदराम जाति जाट निवासी घेउ त0 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री ताराचंद मोठसरा : वादी
वकील श्री दलीप सिंह : प्रतिवादीगण

दिनांक : 09-03-21

### निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घेउ वर्तमान खाता स0 271/262 के खसरा स0 557 की 2.6810है0 खसरा स0 559/1 की 0.3160है0 खसरा स0 741 की 0.8760है0 कुल 3.8700है0 में प्रतिवादी स0 1 आदराम के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा घेउ के ही खाता स0 272/261 के खसरा स0 744 की 8. 2960है में प्रतिवादी सं 1 आदराम के नाम 274 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा सरदाराराम की खातेदारी हुआ करती थी। सरदाराराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 आदराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्यों को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्रों के साथ से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली [illegible] करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सुलतानसिंह पुत्र आदराम जाति जाट के बयान करवाये [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी घेउ मद जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज



Scanned with CamScanner

होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही घेउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमावंदी घेउ प्रदर्श 1 जमाबंदी सवंत 2029 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार आदराम के दो पुत्र सुलतानसिंह, रमेश कुमार व एक पुत्री मायादेवी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादीया स0 03 मायादेवी ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 व 02 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

## कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घेउ वर्तमान खाता स0 271/262 के खसरा स0 557 की 2.6810है0 खसरा स0 559/1 की 0.3160है0 खसरा स0 741 की 0.8760है0 कुल 3.8700है0 में प्रतिवादी स0 1 आदराम के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार रोही मौजा घेउ के ही खाता स0 272/261 के खसरा स0 744 की 8.2960है में प्रतिवादी सं 1 आदराम के नाम 274 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 आदराम की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 03 मायादेवी ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 व 02 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 सुलतानसिंह व प्रतिवादी सं0 01 आदराम व प्रतिवादी सं0 02 रमेशकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01-03-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:20 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner